[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India
Ministry of Corporate Affairs
Notification

New Delhi, the07th August, 2018

G.S.R.___ (E). - In exercise of the powers conferred by section 42, read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014, namely:-

1. (1) These rules may be called the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Second Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

IndiaCode

2. In the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the principal rules), for rule 14, the following rule shall be substituted, namely:-

"**14. Private placement.-** (1) For the purposes of sub-section (2) and sub-section (3) of section 42, a company shall not make an offer or invitation to subscribe to securities through private placement unless the proposal has been previously approved by the shareholders of the company, by a special resolution for each of the offers or invitations:

Provided that in the explanatory statement annexed to the notice for shareholders' approval, the following disclosure shall be made:-

(a) particulars of the offer including date of passing of Board resolution;
(b) kinds of securities offered and the price at which security is being offered;
(c) basis or justification for the price (including premium, if any) at which the offer or invitation is being made;
(d) name and address of valuer who performed valuation;
(e) amount which the company intends to raise by way of such securities;

(f) material terms of raising such securities, proposed time schedule, purposes or objects of offer, contribution being made by the promoters or directors either as part of the offer or separately in furtherance of objects; principle terms of assets charged as securities:

Provided further that this sub-rule shall not apply in case of offer or invitation for non-convertible debentures, where the proposed amount to be raised through such offer or invitation does not exceed the limit as specified in clause (c) of sub-section (1) of section 180 and in such cases relevant Board resolution under clause (c) of sub-section (3) of section 179 would be adequate:

Provided also that in case of offer or invitation for non-convertible debentures, where the proposed amount to be raised through such offer or invitation exceeds the limit as specified in clause (c) of sub-section (1) of section 180, it shall be sufficient if the company passes a previous special resolution only once in a year for all the offers or invitations for such debentures during the year.

(2) For the purpose of sub-section (2) of section 42, an offer or invitation to subscribe securities under private placement shall not be made to persons more than two hundred in the aggregate in a financial year:

Provided that any offer or invitation made to qualified institutional buyers, or to employees of the company under a scheme of employees stock option as per provisions of clause (b) of sub-section (1) of section 62 shall not be considered while calculating the limit of two hundred persons.

Explanation.– For the purposes of this sub-rule, it is hereby clarified that the restrictions aforesaid would be reckoned individually for each kind of security that is equity share, preference share or debenture.

(3) A private placement offer cum application letter shall be in the form of an application in Form PAS-4 serially numbered and addressed specifically to the person to whom the offer is made and shall be sent to him, either in writing or in electronic mode, within thirty days of recording the name of such person pursuant to sub-section (3) of section 42:

Provided that no person other than the person so addressed in the private placement offer cum application letter shall be allowed to apply through such application form and any application not conforming to this condition shall be treated as invalid.

(4) The company shall maintain a complete record of private placement offers in Form **PAS-5**.

IndiaCode

(5) The payment to be made for subscription to securities shall be made from the bank account of the person subscribing to such securities and the company shall keep the record of the bank account from where such payment for subscription has been received:

Provided that monies payable on subscription to securities to be held by joint holders shall be paid from the bank account of the person whose name appears first in the application:

Provided further that the provisions of this sub-rule shall not apply in case of issue of shares for consideration other than cash.

(6) A return of allotment of securities under section 42 shall be filed with the Registrar within fifteen days of allotment in Form **PAS-3** and with the fee as provided in the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014 along with a complete list of all the allottees containing-

(i) the full name, address, Permanent Account Number and E-mail ID of such security holder;
(ii) the class of security held;
(iii) the date of allotment of security ;
(iv) the number of securities held, nominal value and amount paid on such securities; and particulars of consideration received if the securities were issued for consideration other than cash.

IndiaCode

(7) The provisions of sub-rule (2) shall not be applicable to -

(a) non-banking financial companies which are registered with the Reserve Bank of India under the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934); and

(b) housing finance companies which are registered with the National Housing Bank under the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987),

if they are complying with regulations made by the Reserve Bank of India or the National Housing Bank in respect of offer or invitation to be issued on private placement basis:

Provided that such companies shall comply with sub-rule (2) in case the Reserve Bank of India or the National Housing Bank have not specified similar regulations.

(8) A company shall issue private placement offer cum application letter only after the relevant special resolution or Board resolution has been filed in the Registry:

Provided that private companies shall file with the Registry copy of the Board resolution or special resolution with respect to approval under clause (c) of sub-section (3) of section 179.

3. In the principal rules, in the Annexure, –

(i) for "Form No. PAS-4", the following Form shall be substituted, namely:-

"FORM PAS - 4

[see rule 14(3)]

Part - A

PRIVATE PLACEMENT OFFER CUM APPLICATION LETTER

The Private Placement Offer cum Application Letter shall contain the following:–

1. GENERAL INFORMATION

(i) Name, address, website, if any, and other contact details of the company indicating both registered office and corporate office;

(ii) Date of incorporation of the company;

(iii) Business carried on by the company and its subsidiaries with the details of branches or units, if any;

(iv) Brief particulars of the management of the company;

(v) Names, addresses, Director Identification Number (DIN) and occupations of the directors;

(vi) Management's perception of risk factors;

(vii) Details of default, if any, including therein the amount involved, duration of default and present status, in repayment of – (a) statutory dues; (b) debentures and interest thereon; (c) deposits and interest thereon; (d) loan from any bank or financial institution and interest thereon;

(viii) Name, designation, address and phone number, email ID of the nodal/ compliance officer of the company, if any, for the private placement offer process;

(ix) Any Default in Annual filing of the Company under the Companies Act, 2013 or the rules made thereunder.

2. Particulars of offer:

(i) Financial position of the Company for the last 3 financial years;

IndiaCode

(ii) Date of passing of Board resolution;

(iii) Date of passing of resolution in the general meeting, authorising the offer of securities;

(iv) Kind of securities offered (i.e. whether share or debenture) and class of security; the total number of shares or other securities to be issued;

(v) Price at which the security is being offered including the premium, if any, alongwith justification of the price;

(vi) Name and address of the valuer who performed valuation of the security offered, and basis on which the price has been arrived at along with report of the registered valuer;

(vii) Relevant date with reference to which the price has been arrived at;

[Relevant Date means a date atleast thirty days prior to the date on which the general meeting of the company is scheduled to be held]

(viii) The class or classes of persons to whom the allotment is proposed to be made;

(ix)Intention of promoters, directors or key managerial personnel to subscribe to the offer (applicable in case they intend to subscribe to the offer) [not required in case of issue of non- convertible debentures];

(x) The proposed time within which the allotment shall be completed;

(xi)The names of the proposed allottees and the percentage of post private placement capital that may be held by them [not required in case of issue of non- convertible debentures];

(xii) The change in control, if any, in the company that would occur consequent to the private placement;

(xiii) the number of persons to whom allotment on preferential basis/private placement/rights issue has already been made during the year, in terms of number of securities as well as price;

(xiv) the justification for the allotment proposed to be made for consideration other than cash together with valuation report of the registered valuer;

(xv) Amount which the company intends to raise by way of proposed offer of securities;

(xvi) Terms of raising of securities: Duration, if applicable, rate of dividend or rate of interest, mode of payment and repayment;

(xvii) Proposed time schedule for which the private placement offer cum application letter is valid;

indiacode

(xviii) Purposes and objects of the offer;

(xix) Contribution being made by the promoters or directors either as part of the offer or separately in furtherance of such objects;

(xx) Principle terms of assets charged as security, if applicable;

(xxi) The details of significant and material orders passed by the Regulators, Courts and Tribunals impacting the going concern status of the company and its future operations;

(xxii) The pre-issue and post-issue shareholding pattern of the company in the following format:-

Sl. No.	Category	Pre-issue		Post-issue	
		No. of shares held	% of share holding	No. of shares held	% of share holding
A	Promoters' holding				
1	Indian				
	Individual				
	Bodies corporate				
	Sub-total				
2	Foreign promoters				
	sub-total (A)				
B	Non-promoters' holding				
1	Institutional investors				
2	Non-institutional Investors				
	Private corporate bodies				
	Directors and relatives				

IndiaCode

	Indian public		
	others [including Non-resident Indians(NRIs)]		
	Sub-total (B)		
	GRAND TOTAL		

3. Mode of payment for subscription –
 - Cheque
 - Demand Draft
 - Other Banking Channels

IndiaCode

4. DISCLOSURES WITH REGARD TO INTEREST OF DIRECTORS, LITIGATION, ETC.

(i) Any financial or other material interest of the directors, promoters or key managerial personnel in the offer and the effect of such interest in so far as it is different from the interests of other persons;

(ii) Details of any litigation or legal action pending or taken by any Ministry or Department of the Government or a statutory authority against any promoter of the offeree company during the last three years immediately preceding the year of the issue of the private placement offer cum application letter and any direction issued by such Ministry or Department or statutory authority upon conclusion of such litigation or legal action shall be disclosed;

(iii) Remuneration of directors (during the current year and last three financial years);

(iv) Related party transactions entered during the last three financial years immediately preceding the year of issue of private placement offer cum application letter including with regard to loans made or, guarantees given or securities provided;

(v) Summary of reservations or qualifications or adverse remarks of auditors in the last five financial years immediately preceding the year of issue of private placement offer cum application letter and of their impact on the financial statements and financial position of the company and the corrective steps taken and proposed to be taken by the company for each of the said reservations or

qualifications or adverse remark;

(vi) Details of any inquiry, inspections or investigations initiated or conducted under the Companies Act, 2013 or any previous company law in the last three years immediately preceding the year of issue of private placement offer cum application letter in the case of company and all of its subsidiaries, and if there were any prosecutions filed (whether pending or not), fines imposed, compounding of offences in the last three years immediately preceding the year of the private placement offer cum application letter and if so, section-wise details thereof for the company and all of its subsidiaries;

(vii) Details of acts of material frauds committed against the company in the last three years, if any, and if so, the action taken by the company.

5. FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY

(a) The capital structure of the company in the following manner in a tabular form-

(i) (A) the authorised, issued, subscribed and paid up capital (number of securities, description and aggregate nominal value);

(B) size of the present offer;

(C) paid up capital

(I) after the offer;

(II) after conversion of convertible instruments (if applicable);

(D) share premium account (before and after the offer);

(ii) the details of the existing share capital of the issuer company in a tabular form, indicating therein with regard to each allotment, the date of allotment, the number of shares allotted, the face value of the shares allotted, the price and the form of consideration:

Provided that the issuer company shall also disclose the number and price at which each of the allotments were made in the last one year preceding the date of the private placement offer cum application letter separately indicating the allotments made for considerations other than cash and the details of the consideration in each case;

(b) Profits of the company, before and after making provision for tax, for the three financial years immediately preceding the date of issue of private placement offer cum application letter;

(c) Dividends declared by the company in respect of the said three financial years; interest coverage ratio for last three years (cash profit after tax plus interest paid/interest paid)

IndiaCode

(d) A summary of the financial position of the company as in the three audited balance sheets immediately preceding the date of issue of private placement offer cum application letter;

(e) Audited Cash Flow Statement for the three years immediately preceding the date of issue of private placement offer cum application letter;

(f) Any change in accounting policies during the last three years and their effect on the profits and the reserves of the company.

PART – B
(To be filed by the Applicant)

(i) Name
(ii) Father's name
(iii) Complete Address including Flat/House Number, Street, Locality, Pin Code
(iv) Phone number, if any
(v) email ID, if any
(vi) PAN Number
(Vii) Bank Account Details:

Signature

Initial of the Officer of the company designated to keep the record

6. A DECLARATION BY THE DIRECTORS THAT- (a) the company has complied with the provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder; (b) the compliance with the said Act and the rules made thereunder do not imply that payment of dividend or interest or repayment of preference shares or debentures, if applicable, is guaranteed by the Central Government; (c) the monies received under the offer shall be used only for the purposes and objects indicated in the private placement offer cum application letter;

I am authorised by the Board of Directors of the company vide resolution number _____ dated _____ to sign this form and declare that all the requirements of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct

IndiaCode

and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the promoters subscribing to the Memorandum of Association and Articles of Association. It is further declared and verified that all the required attachments have been completely, correctly and legibly attached to this form.

Signed

Date: Place:

Attachments:-

- Copy of Board resolution
- Copy of shareholders resolution
- Copy of _____
- Optional attachments, if any".

IndiaCode

(ii) in Form PAS-5, for the brackets, words and figures "(Section 42(7) and Rule 14(3) of the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014)", the brackets, words and figures "[see rule 14(4)]" shall be substituted.

[File No. 1/21/2013-CL-V]

07/8/18

(K.V.R. Murty)
Joint Secretary to the Government of India

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 251(E), dated the 31st March, 2014 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 424(E), dated the 30th June, 2014 and number G.S.R. 430 (E), dated the 7th May, 2018.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 07 अगस्त, 2018

सा.का.नि.(अ).- केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के साथ पठित धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) दूसरा संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

IndiaCode

2. कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, नियम 14 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"14. प्राइवेट स्थानन.- (1) धारा 42 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए कोई कंपनी प्राइवेट स्थानन के माध्यम से प्रतिभूतियों का अभिदाय करने के लिए तब तक कोई प्रस्थापना या आमंत्रण नहीं करेगी जब तक की यह प्रस्ताव प्रत्येक प्रस्थापना या आमंत्रण के लिए विशेष संकल्प द्वारा कंपनी के शेयरधारकों द्वारा पहले से अनुमोदित न किया गया है:

परंतु शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए सूचना में उपाबद्ध स्पष्टीकारक टिप्पण में निम्नलिखित प्रकटीकरण किए जाएंगे:

(क) प्रस्थापना की विशिष्टियाँ जिसमें बोर्ड संकल्प पारित करने की तारीख शामिल है;

(ख) प्रस्थापित प्रतिभूतियों का प्रकार और मूल्य जिस पर प्रतिभूति का प्रस्थापन किया जा रहा है;

(ग) मूल्य का आधार या न्यायोचित्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो) जिस पर प्रस्थापन या आमंत्रण किया जा रहा है;

(घ) मूल्यांकक का नाम और पता जिसने मूल्यांकन किया हो;

(ड.) रकम जो वह कंपनी ऐसी प्रतिभूतियों के माध्यम से जुटाने का आशय रखती है;

(च) प्रतिभूतियों को जुटाने की महत्वपूर्ण शर्तें, प्रस्थापित समय अनुसूची, प्रस्थापना का प्रयोजन या उद्देश्य, संप्रवर्तकों या निदेशकों द्वारा किया जा रहा अंशदान चाहे लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में प्रस्थापना के एक भाग के रूप में या अलग, प्रतिभूतियों के रूप में प्रभारित आस्तियों की मुख्य शर्तें:

परंतु यह और कि इस उपनियम में, यदि असंपरिवर्तनीय डिबेंचरों के लिए प्रस्थापना या आमंत्रण के मामले में, जहां उक्त प्रस्थापना या आमंत्रण के माध्यम से जुटाई जाने वाली अनुमानित रकम धारा 180 की उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट सीमा से अधिक न हो, तो यह उपनियम लागू नहीं होगा और ऐसे मामलों में धारा 179 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अधीन सुसंगत बोर्ड संकल्प पर्याप्त होगा:

परंतु यह और भी कि यदि असंपरिवर्तनीय डिबेंचरों के लिए प्रस्थापना या आमंत्रण के मामले में, जहां उक्त प्रस्थापना या आमंत्रण के माध्यम से जुटाई जाने वाली अनुमानित रकम धारा 180 की उपधारा (1) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो, तो वर्ष के दौरान ऐसे डिबेंचरों के लिए सभी प्रस्थापनों या आमंत्रणों के लिए कंपनी द्वारा वर्ष में केवल एक बार पूर्व विशेष संकल्प पारित करना पर्याप्त होगा।

(2) धारा 42 की उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए प्राइवेट स्थानन के अधीन प्रतिभूतियों में अंशदान करने के लिए प्रस्थापना या आमंत्रण ऐसे व्यक्तियों के लिए नहीं किया जाएगा जिनकी संख्या किसी वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर दो सौ से अधिक हो:

परंतु यदि प्रस्थापना या आमंत्रण अर्हित संस्थागत क्रेताओं या धारा 62 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसार कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को दिया जा रहा है तो उस पर दो सौ व्यक्तियों की सीमा की गणना करते समय विचार नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त प्रतिबंध प्रत्येक प्रकार की प्रतिभूति जैसे साम्या शेयर, अधिमान शेयर या डिबेंचर के लिए अलग-अलग होंगे।

(3) प्राइवेट स्थानन प्रस्थापना-सह-आमंत्रण पत्र प्ररूप पीएएस-4 में क्रम से संख्यांकित और विशेष रूप से उस व्यक्ति को संबोधित होगा जिसे यह प्रस्थापना किया जा रहा है और यह पत्र उस व्यक्ति को धारा 42 की उपधारा (3) के अनुसरण में ऐसे व्यक्ति के नाम दर्ज करने के तीस दिन के भीतर लिखित या इलेक्ट्रोनिक माध्यम से भेजा जाएगा:

परंतु प्राइवेट स्थानन प्रस्थापना-सह-आमंत्रण पत्र में इस प्रकार से संबोधित व्यक्ति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को इस आवेदन प्ररूप के माध्यम से आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इस शर्त का पालन न करने वाले किसी आवेदन को विधिमान्य के रूप में माना जाएगा।

(4) कंपनी प्ररूप **पीएएस-5** में प्राइवेट स्थानन प्रस्थापनों का पूरा रिकार्ड रखेगी।

(5) प्रतिभूतियों में अंशदान के लिए किया गया भुगतान इन प्रतिभूतियों में अंशदान करने वाले व्यक्ति के बैंक खाते से किया जाएगा और कंपनी उस बैंक खाते का रिकार्ड रखेगी जहां से अंशदान के लिए भुगतान प्राप्त किया गया है:

परंतु संयुक्त धारकों द्वारा धारित प्रतिभूतियों में अंशदान के लिए देय धनरकम का भुगतान उस व्यक्ति के बैंक खाते से किया जाएगा जिसका नाम आवेदन में पहले आ रहा है:

परंतु यह और कि इस उपनियम के उपबंध नकदी के अलावा अन्य किसी रूप में शेयर जारी करने के मामले में लागू नहीं होंगे।

(6) धारा 42 के अधीन प्रतिभूतियों के आबंटन का रिटर्न रजिस्ट्रार को प्ररूप **पीएएस-3** में आबंटन के पंद्रह दिन के भीतर कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में यथाविहित फीस और सभी आबंटियों की पूरी सूची के साथ फाइल किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सूचना होगी-

(i) प्रतिभूतिधारक का पूरा नाम, पता, स्थायी खाता संख्या और ई-मेल आईडी;

IndiaCode

(ii) धारित प्रतिभूति की श्रेणी;

(iii) प्रतिभूति के आबंटन की तारीख;

(iv) धारित प्रतिभूतियों की संख्या, न्यूनतम मूल्य और प्रतिभूतियों पर प्रदत्त रकम; और यदि प्रतिभूतियां नकदी के अलावा अन्य रूप में जारी की गई हों, तो प्राप्त मूल्य की विशिष्टियां।

(7) उपनियम (2) के उपबंध निम्नलिखित के लिए लागू नहीं होंगे-

(क) गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक में रजिस्ट्रीकृत हैं; और

(ख) आवास वित्त कंपनियां जो राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) के अधीन राष्ट्रीय आवास बैंक में रजिस्ट्रीकृत हैं,

यदि वे प्राइवेट स्थानन आधार पर जारी किए जाने वाले प्रस्थापना आमंत्रण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा बनाए गए नियमन का अनुपालन करते हैं:

परंतु यदि भारतीय रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय आवास बैंक ने इसी प्रकार के नियमन निर्दिष्ट न किए हों, तो ऐसी कंपनियां उपनियम (2) का अनुपालन करेंगी।

(8) कोई कंपनी प्राइवेट स्थानन प्रस्थापना-सह-आमंत्रण पत्र रजिस्ट्री में प्रासंगिक विशेष संकल्प या बोर्ड संकल्प फाइल करने के बाद ही जारी करेगी:

परंतु प्राइवेट कंपनियां धारा 179 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अधीन अनुमोदन के संबंध में बोर्ड संकल्प या विशेष संकल्प की प्रतिलिपि रजिस्ट्री में फाइल करेगी।

3. मूल नियमों में, उपाबंध में,-

(i) "प्ररूप संख्या पीएएस-4" के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

IndiaCode

"प्ररूप संख्या पीएएस-4

[देखें नियम 14(3)]

भाग-क

प्राइवेट स्थानन प्रस्थापना-सह-आमंत्रण पत्र

प्राइवेट स्थानन प्रस्थापना-सह-आमंत्रण पत्र में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होगा:

1. साधारण जानकारी

(i) कंपनी का नाम, पता, वेबसाइट, यदि कोई हो, और अन्य संपर्क ब्यौरे जिनमें रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और कारपोरेट कार्यालय दोनों दर्शाए गए हों;

(ii) कंपनी के निगमन की तारीख;

(iii) कंपनी और इसकी समनुषंगियों द्वारा किया जा रहा व्यापार और शाखाओं या इकाईयाँ, यदि कोई हों, के ब्यौरे;

(iv) कंपनी के प्रबंधन की संक्षिप्त विशिष्टियां;

(v) निदेशकों के नाम, पते, निदेशक पहचान संख्या और व्यवसाय;

(vi) प्रबंधन की जोखिम धारणाएं;

(vii) चूक का विवरण, यदि कोई हो, जिसके अंतर्गत निहित रकम भी है, चूक की अवधि और वर्तमान स्थिति, पुनर्भुगतान में (क) सांविधिक बकाया; (ख) डिबेंचर और उस पर ब्याज; (ग) जमा और उस पर ब्याज, (घ) बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण और उस पर ब्याज;

(viii) नाम, पदनाम, पता और फोन नम्बर, कंपनी के नोडल अधिकारी/अनुपालन अधिकारी का ई-मेल आईडी यदि कोई हो, प्राइवेट स्थानन प्रस्थापना प्रक्रिया के लिए।

(ix) कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कंपनी की वार्षिक विवरणी दायर करने में कोई चूक।

IndiaCode

2. प्रस्थापना का विशिष्टियाँ:

(i) पिछले तीन वित्तीय वर्ष में कंपनी की वित्तीय स्थिति;

(ii) बोर्ड संकल्प द्वारा पारित संकल्प की तारीख;

(iii) सामान्य बैठक में पारित संकल्प की तारीख, प्रतिभूतियों की पेशकश को अधिकृत करना;

(iv) पेशकश की गई प्रतिभूतियों के प्रकार (अर्थात् क्या शेयर या ऋण पत्र है) और प्रतिभूतियों का वर्ग; शेयर या अन्य प्रतिभूतियों की कुल संख्या जो जारी की जाएगी;

(v) मूल्य यदि कोई हो, जिस पर प्रतिभूति की पेशकश की जा रही है जिसके अंतर्गत प्रीमियम साथ ही मूल्य का औचित्य भी है;

(vi) मूल्यांकक का नाम और पता जिसने प्रस्थापित प्रतिभूति का मूल्यांकन किया था और आधार जिस पर मूल्य निर्धारित किया गया था रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक की रिपोर्ट सहित;

(vii) संदर्भ के साथ सुसंगत तारीख जिस पर मूल्य निर्धारित किया गया था ;
[सुसंगत तारीख से वह तारीख अभिप्रेत है जो कंपनी की सामान्य बैठक आयोजित होने के लिए कम से कम तारीख से तीस दिन पूर्व निर्धारित है।]

(viii) व्यक्तियों का वर्ग या वर्गों जिसे आबंटन करने का प्रस्ताव है;

(ix) प्रवर्तकों, निदेशकों या मुख्य प्रबंधकीय व्यक्तियों के प्रस्थापना की सदस्यता लेने का आशय (उस दशा में लागू है यदि वे प्रस्ताव की सदस्यता लेने के लिए इच्छुक है) [आवश्यक नहीं है यदि गैर परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने से संबंधित है।]

(x) प्रस्तावित समय जिसके भीतर आबंटन को पूरा किया जाएगा।

(xi) प्रस्तावित आबंटियों का नाम और प्राइवेट स्थानन पूंजी का बाद का प्रतिशत जो उनके द्वारा धारित किया जाएगा। [असंपरिवर्तनीय डिबेंचर के जारी होने के मामले में आवश्यक नहीं]

(xii) कंपनी के नियंत्रण में कोई बदलाव जो प्राइवेट स्थानन के फलस्वरूप होगा;

(xiii) व्यक्तियों की संख्या जिन्हें अधिमान आधार/प्राइवेट स्थानन/राइट्स इश्यू को वर्ष के दौरान पहले ही प्रतिभूतियों की संख्या और साथ ही साथ मूल्य की दशाओं में तैयार कर लिया गया था;

IndiaCode

(xiv) आबंटन जिसमें प्रतिफल के लिए नकद के अलावा प्रस्तावित किया जाना है, का औचित्य साथ में रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक की मूल्यांकन रिपोर्ट;

(xv) रकम जो कंपनी प्रतिभूतियों के प्रस्थापना के द्वारा प्राप्त करने की प्रत्याशा रखती है;

(xvi) प्रतिभूतियों को उगाहने की दशाएं, अवधि, यदि लागू है, लाभांश की दर या ब्याज की दर, भुगतान और पुनर्भुगतान का तरीका;

(xvii) प्रस्तावित समय सारणी जिसके लिए प्राइवेट स्थानन प्रस्थापना-सह-आमंत्रण पत्र विधिमान्य है;

(xviii) प्रस्थापना के प्रयोजन और उद्देश्य;

(xix) प्रवर्तकों और निदेशकों द्वारा प्रस्थापना के भाग के रूप में या पृथक रूप से ऐसे उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए किए जाने वाला अंशदान;

(xx) सुरक्षा के रूप में चार्ज की गई सम्पत्ति की प्रमुख शर्तें, यदि लागू हों;

(xxi) नियामकों, न्यायालयों और अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश के ब्यौरे जो कंपनी और उसके भविष्य के संचालन की चिंता की स्थिति को प्रभावित करते हैं;

(xxii) निम्नलिखित प्ररूप में कंपनी के शेयरधारकों का पूर्व निर्गम और निर्गम के बाद के पैटर्न -

क्र.सं.	श्रेणी	पहले के पैटर्न		बाद के पैटर्न	
		धारित शेयरों की संख्या	धारित शेयरों का %	धारित शेयरों की संख्या	धारित शेयरों का %
क	प्रवर्तकों द्वारा धारित				
1	भारतीय				
	व्यष्टिक				
	निकाय कारपोरेट				
	उप-योग				
2	विदेशी प्रवर्तक				
	उप-योग (क)				
ख	गैर-प्रवर्तकों द्वारा धारित				
1	संस्थागत निवेशक				
2	गैर-संस्थागत निवेशक				

IndiaCode

	प्राइवेट कारपोरेट निकाय		
	निदेशक एवं संबंधी		
	भारतीय जनता		
	अन्य (जिसके अंतर्गत अनिवासी भारतीय भी हैं)		
	उप-योग (ख)		
	कुल योग		

3. अंशदान की अदायगी का तरीका

- चैक
- डिमांड ड्राफ्ट
- अन्य बैंकिंग चैनल्स

4. निदेशकों के हित, मुकदमें आदि के संबंध में प्रकटीकरण -

(i) प्रस्थापना में निदेशकों, प्रवर्तकों या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का कोई वित्तीय या अन्य आर्थिक हित तथा चूंकि यह अन्य व्यक्तियों के हितों से भिन्न है अतः ऐसे हित के प्रभाव।

(ii) प्राइवेट स्थानन प्रस्ताव-सह-आमंत्रण पत्र जारी किए जाने के वर्ष से तुरंत पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान प्रस्थापना करने वाली कंपनी के किसी प्रवर्तक के विरूद्ध सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग या सांविधिक प्राधिकरण द्वारा लंबित या की गई कानूनी कार्रवाई या कोई मुकदमा तथा ऐसे मंत्रालय या विभाग या सांविधिक प्राधिकरण द्वारा ऐसे मुकदमें या कानूनी कार्रवाई के निष्कर्ष पर जारी किसी दिशानिर्देशक का विवरण प्रकट किया जाएगा;

(iii) निदेशकों का पारिश्रमिक (वर्तमान और पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान);

(iv) प्राइवेट स्थानन प्रस्ताव-सह-आमंत्रण पत्र को जारी किए जाने के वर्ष से तुरंत पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान दिए गए ऋण या दी गई गारंटी या उपलब्ध कराई गई प्रतिभूतियों से संबंधित सहित किया गया संबंधित पक्ष संव्यवहार;

(v) प्राइवेट स्थानन प्रस्ताव-सह-आमंत्रण पत्र जारी होने के वर्ष से तुरंत पूर्ववर्ती पांच वित्तीय वर्षों में लेखापरीक्षकों के आरक्षणों या अर्हताओं या प्रतिकूल टीका-टिप्पणियों तथा उनका कंपनी के वित्तीय विवरण और वित्तीय स्थिति पर प्रभाव तथा उक्त प्रत्येक आरक्षणों या अर्हताओं या प्रतिकूल टीका-टिप्पणियों के लिए कंपनी द्वारा

IndiaCode

उठाए गए या प्रस्तावित सुधारात्मक प्रयासों का संक्षिप्त विवरण;

(vi) कंपनी और उसकी सभी समनुषंगियों के मामले में प्राइवेट स्थानन प्रस्ताव-सह-आमंत्रण पत्र जारी करने के वर्ष से तुरंत पूर्ववर्ती तीन वर्षों में कंपनी अधिनियम, 2013 या किसी पूर्ववर्ती कंपनी विधि के अधीन प्रारंभ की गई या पूर्ण की गई किसी जांच, निरीक्षण या अन्वेषण का विवरण, और प्राइवेट स्थानन प्रस्ताव-सह-आमंत्रण पत्र के वर्ष से तुरंत पूर्ववर्ती तीन वर्षों में यदि कोई अभियोजन दायर किया गया है (लंबित अथवा नहीं), जुर्माना लगाया गया है या प्रशमनीय अपराध है तो कंपनी और उसकी सभी समनुषंगियों के लिए उसका धारा-वार व्यौरे;

(vii) कंपनी के विरूद्ध पिछले तीन वर्षों में किए गए आर्थिक धोखाधड़ी के कार्यों, यदि कोई है, के ब्यौरे, और यदि ऐसा है तो कंपनी द्वारा की गई कार्रवाई।

5. कंपनी की वित्तीय स्थिति

(क) निम्नलिखित रीति से सारणी में कंपनी की पूंजीगत अवसंरचना का विवरण -

(i) (क) प्राधिकृत, जारी की गई, अंशदान की गई और समादत्त पूंजी (प्रतिभूतियों की संख्या, विवरण और औसत न्यूनतम मूल्य);

(ख) वर्तमान प्रस्थापना का आकार;

(ग) समादत्त पूंजी

(क) प्रस्थापना के बाद;

(ख) संपरिवर्तनीय लिखितों के परिवर्तन के बाद (यदि लागू हैं)

(घ) शेयर प्रीमियम लेखा (प्रस्थापना के पहले और बाद में)

(ii) जारीकर्ता कंपनी की वर्तमान शेयरपूंजी की सारणी प्रारूप में प्रत्येक आबंटन, आबंटन की तारीख, आबंटित शेयरों की संख्या, आबंटित शेयरों का अंकित मूल्य, प्रतिफल की रकम और रूप को बताते हुए विवरण।

परंतु जारीकर्ता कंपनी उस संख्या और कीमत का प्रकटीकरण नकदी के अलावा प्रतिफल के लिए आबंटनों और प्रत्येक मामलों में प्रतिफल का विवरण पृथक रूप से दर्शाते हुए करेगी जिस पर प्राइवेट स्थानन प्रस्ताव-सह-आमंत्रण की तारीख से पूर्ववर्ती एक वर्ष में प्रत्येक आबंटन किया गया था।

(ख) प्राइवेट स्थानन प्रस्ताव-सह-आमंत्रण पत्र जारी करने की तारीख से तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए कर के लिए उपाबंध करने से पूर्व और बाद में कंपनी का लाभ;

IndiaCode

(ग) उक्त तीन वित्तीय वर्षों के संबंध में कंपनी द्वारा घोषित किए गए लाभ; पिछले तीन वर्षों के लिए ब्याज रकम का अनुपात (कर और ब्याज का भुगतान/ब्याज का भुगतान करने के बाद नकद लाभ);

(घ) प्राइवेट स्थानन प्रस्ताव-सह-आमंत्रण जारी करने की तारीख से तुरंत पूर्ववर्ती तीन लेखापरीक्षित तुलनपत्रों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण;

(ड़) प्राइवेट स्थानन प्रस्ताव-सह-आमंत्रण जारी करने की तारीख से तुरंत पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए लेखापरीक्षित नकद प्रवाह का विवरण;

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान लेखाकारिता नीतियों में कोई परिवर्तन और उनका कंपनी के लाभों और आरक्षितियों पर प्रभाव;

भाग - ख
(आवेदक द्वारा दायर किए जाने हेतु)

(i) नाम
(ii) पिता का नाम
(iii) फ्लैट/मकान संख्या, गली, अवस्थिति, पिन कोड सहित पूरा पता
(iv) दूरभाष, यदि कोई है
(v) ई-मेल पता, यदि कोई है
(vi) स्थायी खाता संख्या
(vii) बैंक खाता विवरण

हस्ताक्षर

रिकार्ड रखने के लिए कंपनी के पदाभिहित अधिकारी के आध्यक्षरित

6. निदेशकों द्वारा घोषणा कि - (क) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन किया है; (ख) उक्त अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुपालन से यह तात्पर्य नहीं है कि केंद्रीय सरकार द्वारा लाभांश या ब्याज या अधिमान शेयरों या डिबेंचरों के पुनर्भुगतान, यदि लागू है, की गारंटी नहीं है; (ग) प्रस्थापना के अधीन प्राप्त रकम का प्रयोग प्राइवेट स्थानन प्रस्ताव-सह-आमंत्रण में उल्लिखित उद्देश्यों और लक्ष्यों के लिए ही किया जाएगा;

मैं तारीख की संकल्प संख्या* के माध्यम से कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत

IndiaCode

किया गया हूं और घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप की विषयवस्तु और इससे संबंधित मामलों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है। प्ररूप में जो कुछ उल्लेख किया गया है और इसके साथ संलग्न किया गया है और संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेदों के अंशदाता प्रवर्तकों द्वारा अभिरक्षित मूल अभिलेखों के अनुसार है। आगे यह घोषणा और सत्यापित किया जाता है कि सभी अपेक्षित दस्तावेज इस प्ररूप के साथ पूर्ण रूप से सही और स्पष्ट ढंग से संलग्नित हैं।

हस्ताक्षर

तारीख:

स्थान:

संलग्नक:

- बोर्ड संकल्प की एक प्रति
- शेयरधारकों के संकल्प की प्रति
- की प्रति
- वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई है"।

IndiaCode

(ii) प्ररूप पीएएस-5 में, "धारा 42(7) और कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 का नियम 14(3)" कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर "[देखें नियम 14(4) देखें]" कोष्ठक, शब्द और संख्यांक रखे जाएंगे।

[फा.सं.1/21/2013-सीएल.V]

के.वी.आर.मूर्ति
07/8/18

(के.वी.आर. मूर्ति)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 31 मार्च, 2014 की संख्या सा.का.नि. 251(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा बाद में तारीख 30 जून, 2014 की संख्या सा.का.नि.424(अ) और तारीख 07 मई, 2018 की संख्या सा.का.नि.430(अ) द्वारा संशोधन किया गया।